कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना/स्थाना./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्री अजय कुमार, प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कपूरावाला, सांगानेर जिला जयपुर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, डूंगरीपाडा जिला बांसवाडा एवं श्रीमती भावना यादव, प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, दूदू, जयपुर को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कपूरावाला, सांगानेर जिला जयपुर में स्थानान्तरित किया गया था। श्री अजय कुमार द्वारा उक्त स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर से एस.बी.सिविल याचिका संख्या 18520/2019 अजय कुमार बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में अन्तरिम स्थगनादेश दिनांक 04.12.2019 प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 13.12.2019 द्वारा श्री अजय कुमार को माननीय न्यायालय के आगामी/अन्तिम निर्णयाधीन राबाउमावि कपूरावाला, सांगानेर जिला जयपुर में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित रखा गया एवं स्थगन से प्रभावित प्रधानाचार्य श्रीमती भावना यादव को अपनी आगामी उपस्थिति कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, जयपुर में दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

तत्पश्चात कार्यालय हाजा के आदेश क्रमांक शिविरा–मा./संस्था/बी–2/45002/एपीओ–पदस्थापन/2019 दिनांकः 20.12.2019 द्वारा श्रीमती भावना यादव का अन्तरिम समायोजन माननीय न्यायालय द्वारा याचिका में पारित आगामी/अन्तिम निर्णयाधीन राजकीय शहीद रतनलाल जाट उच्च माध्यमिक विद्यालय पहाडी, निवाई जिला टोंक में प्रधानाचार्य के पद पर किया गया।

माननीय एकलपीठ के उक्त अन्तरिम स्थगनादेश के विरूद्ध श्रीमती भावना यादव द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की डिविजन बैन्च के समक्ष डी.बी.स्पेशल अपील रिट संख्या 142/2020 भावना यादव बनाम अजय कुमार व अन्य (अन्तर्गत एस.बी.सिविल याचिका सं. 18520/2019 अजय कुमार बनाम राजस्थान राज्य व अन्य) दायर की गई जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.11.2020 द्वारा माननीय एकलपीठ के निर्णय दिनांक **04.12.2019** को खारिज कर दिया गया है। उक्त आदेश के खारिज किये जाने के फलस्वरूप विभागीय आदेश दिनांक 29.09.2019 एस.बी.सिविल याचिका संख्या 18520/2019 में याचिकार्थी श्री अजय कुमार एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या–2 श्रीमती भावना यादव के सम्बन्ध में पुनः प्रभावी हो गया है। अतः श्रीमती भावना यादव, प्रधानाचार्य राजकीय शहीद रतनलाल जाट उच्च माध्यमिक विद्यालय पहाडी निवाई जिला टोंक को राबाउमावि कपूरावाला सांगानेर जिला जयपुर में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यग्रहण की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है।

श्री अजय कुमार, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य राबाउमावि कपूरावाला, सांगानेर, जयपुर से राउमावि डूंगरीपाडा जिला बांसवाडा को तत्काल कार्यमुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वे अपने स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण कर विभागीय आदेश दिनांकः 29.09.2019 की पालना सुनिश्चित करें। सम्बन्धित प्रधानाचार्यो द्वारा कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण से सम्बन्धित समस्त सूचनाओं का इन्द्राज शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से करना आवश्यक होगा।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/एसबीसिया/अजय कुमार/18520/2019 दिनांकः 05.11.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर/उदयपुर/अजमेर संभाग, जयपुर/उदयपुर/अजमेर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर/बांसवाडा/टोंक।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, जयपुर/बांसवाडा/टोंक।
6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सांगानेर जिला जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश की पालना तत्काल सुनिश्चित करावें।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्यो को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
5/11/2020